



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 72]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 7, 2019/फाल्गुन 16, 1940

No. 72]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 7, 2019/PHALGUNA 16, 1940

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2019

वस्त्र क्षेत्र की सहायता के लिए राज्य एवं केंद्र द्वारा लागू करों में छूट प्रदान करने के लिए योजना

सं. 14/26/2016-आईटी (खंड II).—इस समय अपैरल एवं मेड-अप्स क्षेत्रों को राज्य करों से छूट की योजना (आरओएसएल) के तहत सहायता प्रदान की जा रही है। तथापि, कुछ राज्य तथा केंद्रीय कर निर्यात की लागत में शामिल रहे हैं। भारत सरकार द्वारा परिधान एवं मेड-अप्स क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करने के लिए इन क्षेत्रों के लिए लागू राज्य एवं केंद्रीय सभी करों और लेवियों में छूट देने के निर्णय के अनुसरण में निम्नलिखित योजना अधिसूचित की जाती है:

1. लघु शीर्षक एवं प्रारंभ

1.1. इस योजना को परिधान एवं मेड-अप्स के निर्यात पर राज्य एवं केंद्रीय करों में छूट योजना 2019 कहा जाएगा (इसके पश्चात इसे आरओएससीटीएल कहा जाएगा) यह योजना इस अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगी तथा 31.03.2020 तक लागू रहेगी। अपैरल के लिए दिनांक 12.08.2016 की अधिसूचना संख्या 12020/03/2016-आईटी के माध्यम से अधिसूचित तथा मेड-अप्स के लिए दिनांक 03.01.2017 की अधिसूचना संख्या 12015/47/2016-आईटी के माध्यम से अधिसूचित वर्तमान आरओएसएल योजना इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से समाप्त हो जाएगी।

2. उद्देश्य

2.1. निर्यात उत्पादों की जीरो रेटिंग के स्वीकार्य अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार परिधान एवं मेड-अप्स के निर्यात पर आरओएससीटीएल योजना के माध्यम से अधिसूचित दरों एवं मूल्य सीमाओं के अनुसार ड्यूटी ड्रावबैक योजना के अलावा राज्य एवं केंद्रीय करों में छूट के लिए प्रावधान करेगी।

3. परिभाषा

- 3.1. निर्यात की पारिभाषिक भिन्नता तथा अनुभूति अभिव्यक्ति सहित इसका अभिप्राय है भारत से वस्तुओं को भारत से बाहर किसी स्थान पर ले जाना
- 3.2. शिपिंग बिल अथवा निर्यात बिल का अभिप्राय है कि परिधान एवं मेड-अप्स के किसी निर्यातक द्वारा सीमा शुल्क के किसी उपर्युक्त अधिकारी के समक्ष की गई प्रविष्टि
- 3.3. निर्यातित परिधान तथा मेड-अप्स से संबंधित मूल्य, बोर्ड पर निःशुल्क (एफओबी) मूल्य होगा

- 3.4. परिधान का अभिप्राय है सभी औद्योगिक ड्रॉबैक दरों (एआईआर) की अनुसूची के अध्याय 61 और 62 के अंतर्गत वस्तुएं
- 3.5. मेड-अप्स का अभिप्राय है सभी औद्योगिक ड्रॉबैक दरों (एआईआर) की अनुसूची के अध्याय 63 के अंतर्गत वस्तुएं जिसमें टैरिफ मर्के 6308, 6309, 6310 तथा टैरिफ मर्के 9404 की वस्तुएं शामिल नहीं हैं जो ड्रॉबैक टैरिफ मर्के 6304 से बाहर रखी गई हैं।
- 3.6. राज्य करों और लेवियों से छूट के मामले में यह समझा जाएगा कि इसमें परिवहन में प्रयुक्त ईंधन, कैप्टिव विद्युत, फार्म क्षेत्र पर वैट, मंडी कर, विद्युत शुल्क, निर्यात दस्तावेजों पर स्टैप ड्यूटी तथा कच्ची कपास में प्रयुक्त कीट नाशक, उर्वरकों जैसे इनपुटों, अपंजीकृत डीलरों से खरीद, विद्युत के उत्पादन में प्रयुक्त कोयले तथा परिवहन क्षेत्र के लिए इनपुट पर देय संयुक्त एसजीएसटी शामिल है।
- 3.7. केंद्रीय शुल्क में छूट के मामले में यह समझा जाएगा कि इसमें परिवहन में प्रयुक्त ईंधन पर केंद्रीय सीमा शुल्क, कच्चे कपास के उत्पादन में प्रयुक्त कीटनाशकों, उर्वरक जैसे इनपुट, अपंजीकृत डीलरों से खरीद, परिवहन क्षेत्र के लिए इनपुट तथा विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त प्रतिपूर्ति शुल्क शामिल है।

4. छूट की दरें

- 4.1 वस्त्र मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा गठित ड्रॉबैक समिति द्वारा भारत में निर्मित परिधानों और मेड-अप्स के निर्यात पर आरओएससीएल की दरों (लागू मूल्य की सीमा सहित) की सिफारिश की गई है।
- 4.2 सरकार के पास संगत अंतर्निहित शर्तों में परिवर्तन के मद्देनजर दर और सीमा को समुचित तरीके से समायोजित करने का अधिकार सुरक्षित है। छूट की दरों और मूल्य की सीमाओं की आवधिक जांच, ड्रॉबैक समिति द्वारा अनुशंसित दरों और मूल्य की सीमाओं के भीतर डीजीएफटी की मानदंड समिति द्वारा की जाएगी।

5. छूट का दावा

- 5.1 इस योजना के विकल्प को चुनने वाला निर्यातक मद स्तर पर निर्यात संबंधी छूट का दावा करेगा।

6. छूट का भुगतान

- 6.1 आरओएससीटीएल को भारत से मर्केडाइज निर्यात योजना (एमईआईएस) किस्म की स्क्रिप प्रणाली के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा।
- 6.2 डीजीएफटी द्वारा स्क्रिप आधारित प्रणाली के अंतर्गत छूट जारी करने का प्रावधान वित्त वर्ष 2019-20 से आगे किए जाने वाले निर्यात के लिए होगा। राजस्व विभाग ऐसे स्क्रिप जारी करने के लिए उपयुक्त तरीके से आवंटन को प्राधिकृत करेगा।
- 6.3 डीजीएफटी 01.04.2019 से पहले की अवधि के शिपिंग बिलों के बजट प्रावधान के अलावा आरओएससीटीएल के लिए स्क्रिप जारी करेगा। राजस्व विभाग द्वारा स्क्रिप जारी करने के लिए बजट प्रावधान के अलावा आरओएसएल का आवंटन ऐसे पुराने मामलों के लिए किया जाएगा जिनका वितरण बजट सीमा के कारण नहीं किया जा सका।
- 6.4 समुचित बजटीय नियंत्रण के लिए आरओएससीटीएल के अंतर्गत माफ किए गए राजस्व के वित्तीय निहितार्थ का मूल्यांकन अनुमानित निर्यातों और ड्रॉबैक समिति/मानदंड समिति द्वारा अनुशंसित दरों के आधार पर राजस्व विभाग के परामर्श से वस्त्र मंत्रालय और वाणिज्य विभाग द्वारा किया जाएगा।
- 6.5 वस्त्र मंत्रालय डीजीएफटी द्वारा स्क्रिप पर दी गई छूट की मासिक सूची प्राप्त करेगा।

7. आवधिक आकलन

- 7.1 सचिव, वस्त्र मंत्रालय की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी), जिसमें राजस्व विभाग, व्यय विभाग और वाणिज्य विभाग के प्रतिनिधि शामिल हैं, समय-समय पर निर्यात और रोजगार में वृद्धि के मापदंडों के अनुसार योजना का आकलन करेंगे। अन्य मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों को, आवश्यकतानुसार समिति में शामिल किया जा सकता है।

8. अपवादिक खंड

- 8.1 आरओएससीटीएल योजना के समाप्त होने पर, आवेदनों पर जारी नहीं की गई छूट का निपटान योजना के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

अदिति दास राउत, व्यापार सलाहकार

MINISTRY OF TEXTILES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th March, 2019

Scheme to Rebate State and Central Embedded Taxes to Support the Textile Sector

No. 14/26/2016-IT (Vol II).—Apparel and made-ups sectors are currently supported under the Scheme for Rebate of State Levies (RoSL). However, certain State as well as Central taxes continued to be present in the cost of exports. In pursuance of the decision of the Government of India to rebate all embedded State and Central Taxes and Levies on garments and made-ups to enhance competitiveness of these sectors, the following scheme is notified:

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

- 1.1. The new scheme shall be called Scheme for Rebate of State and Central Taxes and Levies on Export of Garments and Made-ups (hereinafter referred to as RoSCTL). The New Scheme will come into effect from the date of this Notification and shall remain in force up to 31.03.2020. The existing RoSL Scheme for apparel notified vide notification no. 12020/03/2016-IT dated 12.08.2016 and for made-ups notified vide notification no. 12015/47/2016-IT dated 03.01.2017, will be discontinued w.e.f. the date of this Notification.

2. OBJECTIVE

- 2.1. In accordance with the recognized international economic principle of zero rating of export products, it has been decided that the Central Government shall provide for rebate of State and Central Taxes and Levies in addition to the Duty Drawback Scheme, through the Scheme for RoSCTL on export of Garments and Made-ups at notified rates and value caps.

3. DEFINITIONS

- 3.1. Export with its grammatical variations and cognate expressions, means taking goods out of India to a place outside India.
- 3.2. Shipping Bill or Bill of Export shall be the entry made before proper officer of Customs by an exporter of garments and made-ups
- 3.3. Value in relation to exported garments and made-ups shall be the Free on Board (FOB) value.
- 3.4. Garments shall mean goods falling under Chapters 61 or 62 of the Schedule of All Industry Rates (AIR) of Drawback.
- 3.5. Made-ups shall mean goods falling under chapter 63 of the Schedule of All Industry Rates (AIR) of drawback excluding tariff items 6308, 6309, 6310 and goods in tariff items 9404 that are excluded from drawback tariff item 6304.
- 3.6. Rebate of State Taxes and Levies shall be understood to comprise VAT on fuel used in transportation, captive power, farm sector, mandi tax, duty of electricity, stamp duty on export documents, embedded SGST paid on inputs such as pesticides, fertilizers etc. used in production of raw cotton, purchases from unregistered dealers, coal used in production of electricity and inputs for transport sector.
- 3.7. Rebate of Central Taxes and Levies shall be understood to comprise central excise duty on fuel used in transportation, embedded CGST paid on inputs such as pesticides, fertilizer etc. used in production of raw cotton, purchases from unregistered dealers, inputs for transport sector and embedded CGST and Compensation Cess on coal used in production of electricity.

4. RATES OF REBATE

- 4.1. The rates (including applicable value caps) of RoSCTL on export of garments and made-ups manufactured in India have been recommended by the Drawback Committee constituted by the Central Government notified by the Ministry of Textiles.
- 4.2. Government reserves the right to suitably adjust the rate and caps in the light of change in relevant underlying conditions. Periodic calibration of rebate rates and value caps shall be undertaken by

the Norms Committee of DGFT, within the rates and value caps recommended by the Drawback Committee.

5. CLAIM FOR REBATE

5.1. An exporter opting for this scheme shall make claim for rebate on exports at item-level.

6. MECHANISM OF REBATE

6.1. The ROSCTL shall be implemented through a Merchandise Exports from India Scheme (MEIS) type scrip system.

6.2. The provision of issue of the rebate under the scrip based system by the DGFT would be for the exports made in the financial year 2019-20 onwards. The Department of Revenue will suitably authorize the allocation for issue of such scrips.

6.3. DGFT would be issuing the scrips for RoSCTL over and above budget provision for the shipping bills of the period before 01.04.2019 only. The allocation for RoSL over and above budget provision for issuing scrips, would be provided by the Department of Revenue for such old cases which could not be disbursed due to budget limitation.

6.4. To exercise proper budgetary control, financial implication of revenue forgone under the ROSCTL shall be assessed by M/o Textiles and D/o Commerce in consultation with D/o Revenue on the basis of estimated exports and rates recommended by the Drawback Committee/Norms Committee.

6.5. Ministry of Textiles would obtain monthly list of rebate given against scrips by DGFT.

7. PERIODIC ASSESSMENT

7.1. An Inter-Ministerial Committee (IMC) headed by Secretary, M/o Textiles comprising representatives of D/o Revenue, D/o Expenditure and D/o Commerce, shall periodically assess the scheme on parameters of growth in exports and employment. Representatives of other Departments/Ministries, as required, may be co-opted into the Committee.

8. SAVING CLAUSE

8.1. Upon cessation of the ROSCTL Scheme, the non-issued rebate against applications shall be settled in accordance with the provisions of the Scheme.

ADITI DAS ROUT, Trade Advisor